Seventeenth Series, Vol. XXIV No. 21 | Tuesday, March 28, 2023
Chaitra 07, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXIV contains Nos.21 to 25)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2023/1945 (Saka)
No. 21, Tuesday, March 28, 2023/ Chaitra 07, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 381	9
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 382 to 400	10-78
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	79-756

PAPERS LAID ON THE TABLE 757-768

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE 769

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS

348th to 351st Reports 770

STATEMENTS BY MINISTERS 771-772

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs

Shri Hardeep Singh Puri 771

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2021-2022) pertaining to the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare 771

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2022-2023)-Demand No. 1 pertaining to the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Shri Kailash Choudhary 772

MATTERS UNDER RULE 377 773-796

(i) Regarding setting up of floating solar plants in areas affected by water logging in Saran and Siwan districts of Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 773

(ii) Regarding implementation of MPLAD Scheme in West Bengal

Shrimati Locket Chatterjee 774

(iii) Regarding establishment of stadiums in Misrikh Parliamentary Constituency under Khelo India Programme

Shri Ashok Kumar Rawat 775

(iv) Need to develop ESIC Hospital in Bhilwara in Rajasthan as a model hospital

Shri Subhash Chandra Baheria 776

(v) Regarding G-20 meeting in India

Shri Rattan Lal Kataria 777

(vi) Regarding setting up of Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana region

Dr. Nishikant Dubey 778

(vii) Need to upgrade Prayagraj Airport as international airport and to complete Bhagwatpur-Begum Bazaar railway overbridge

Shrimati Keshari Devi Patel 779

(viii) Regarding construction of a guard wall on eastern bank of the Kansabati river in Jhargram Parliamentary Constituency

Shri Kunar Hembram 780

(ix) Need to widen the bridge built over the railway tracks passing through the Hoollongapar Gibbon Sanctuary, Jorhat, Assam to facilitate free movement of Hoolock Gibbons in the Sanctuary area

Shri Topon Kumar Gogoi 781

(x) Regarding construction of limited height subways at level crossings in Palamu Parliamentary Constituency

Shri Vishnu Dayal Ram 782

(xi) Need to identify black spots on roads all over the country and take corrective measures to prevent road accidents

Shri Ramakant Bhargava 783

(xii) Regarding introduction of 'One Nation, One Voter list'

Dr. Sukanta Majumdar 784

(xiii) Regarding establishment of higher education institutions in Seemanchal

Dr. Mohammad Jawed 785

(xiv) Need to ensure release of Indian fishermen apprehended by Sri Lankan Navy

Shri G. Selvam 786-787

(xv) Regarding Erode (Ingur)- Palani new broad-gauge (BG) line

Shri A. Ganeshamurthi 788

(xvi)	Regarding job loss faced in the technology sector worldwide	
	Prof. Sougata Ray	789
(xvii)	Regarding construction of a hockey stadium cum training centres at Yelamanchili in Vishakhapatnam district, Andhra Pradesh	
	Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	790
(xviii)	Need to expedite construction of Karad - Chiplum railway line project	
	Shri Vinayak Bhaurao Raut	791
(xix)	Regarding establishment of AIIMS in Saharasa, Bihar	
	Shri Dinesh Chandra Yadav	792
(xx)	Regarding revision of pensions and family pension for retired employees of public sector group insurance companies	
	Shri P.R. Natarajan	793-794
(xxi)	Regarding audit of the utilization of SC/ST sub plan funds in Andhra Pradesh since 2020-21	
	Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	795
(xxii)	Regarding establishment of new Kendriya Vidyalayas in Nagaur Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Hanuman Beniwal	796

***ANNEXURE – I** 781-788

Member-wise Index to Starred Questions 781

Member-wise Index to Unstarred Questions 782-788

***ANNEXURE – II** 789-790

Ministry-wise Index to Starred Questions 789

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 790

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA

Tuesday, March 28, 2023/ Chaitra 07, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**Shri P.V. Midhun Reddy** *in the Chair*]

ORAL ANSWER TO QUESTION

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Question no. 381.

… (*Interruptions*)

<u>11.0½ hrs</u>

At this stage, Sushri S. Jothimani, Shri Benny Behanan and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (*Interruptions*)

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 382 to 400
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600)
(Page No. 10 to 756)

HON. CHAIRPERSON: This is not appropriate. The House stands adjourned till 2 pm.

11.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

---

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

… (व्यवधान)

14.0½ hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Sushri S. Jothimani and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

… (व्यवधान)

14.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री परषोत्तम रूपाला जी ।

… (व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : महोदया, मैं मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9353/17/23]

… (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदया, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9354/17/23]

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, डॉ. संजीव कुमार बालियान जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) प्रशासनिक (पशुओं पर परीक्षणों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए समिति) नियम, 2023 जो 6 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 82(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (अंडा देने वाली मुर्गियां) नियम, 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9355/17/23]

(2) पशुधन आयात अधिनियम,1898 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.4990(अ) जो 20 अक्तूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ.191(अ) जो 11 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1495(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9356/17/23]

(3) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9357/17/23]

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): महोदया, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम,1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल, सामान्य ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित)(संशोधन) भर्ती नियम, 2023 जो 9 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9358/17/23]

(2) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9359/17/23]

… (व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदया, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) (2023 का संख्यांक 3)-सीबीआईसी एसीईएस-जीएसटी आवेदन की आईटी लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 9360/17/23]

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर (2023 का संख्यांक 4)-धारा 281ख के अधीन आईटीडी द्वारा किसी निर्धारिती की संपत्ति जब्त करने के बारे में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 9361/17/23]

(3) 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार-(2022 का संख्यांक 3)।

[Placed in Library, See No. LT 9362/17/23]

(4) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार-(2023 का संख्यांक 1)।

[Placed in Library, See No. LT 9363/17/23]

… (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम 2023 जो 28 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचनासं.सा.का.नि. 140(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9364/17/23]

(2) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9365/17/23]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विजयवाड़ा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9366/17/23]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9367/17/23]

(ग) (एक) पंजाब स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9368/17/23]

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9369/17/23]

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): महोदया, श्री ए. नारायणस्वामी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) इंडियन स्पाइनल इन्ज्यूरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9370/17/23]

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): महोदया, मैं निम्लखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर द डेफ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर द डेफ, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9371/17/23]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9372/17/23]

(5) (एक) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9373/17/23]

(7) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9374/17/23]

(9) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9375/17/23]

(11) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9376/17/23]

(13) (एक) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9377/17/23]

(15) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9378/17/23]

(17) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9379/17/23]

(19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद विजुएल डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद विजुएल डिस्बिलिटीज़ (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9380/17/23]

(21) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मदुरै के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मदुरै के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9381/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTINIG (DR. L. MURUGAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the All India Radio Assistant Director (O.L.) Recruitment Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.123(E) in Gazette of India dated 23rd February, 2023 under Section 34 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990.

[Placed in Library, See No. LT 9382/17/23]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 9383/17/23]

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खेल विभाग, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 9384/17/23]

(2) युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम मंत्रालय की वर्ष 2023-2024 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[Placed in Library, See No. LT 9385/17/23]

… (व्यवधान)

14.03 hrs

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

माननीय सभापति: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 27 मार्च, 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने दसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए:-

1.	श्री संजय शामराव धोत्रे	13.03.2023 से 06.04.2023
2.	श्री अतुल कुमार उर्फ अतुल राय सिंह	13.03.2023 से 06.04.2023
3.	श्री गिरीश भालचन्द्र बापट	13.03.2023 से 06.04.2023
4.	श्री अकबर लोन	25.07.2022 से 08.08.2022, 07.12.2022 से 23.12.2022, 31.01.2023 से 13.02.2023 और 13.03.2023 से 23.03.2023,

क्या सभा की यह इच्छा है कि समिति द्वारा अनुशंसित अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हाँ।

माननीय सभापति: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

... (व्यवधान)

14.03½ hrs

STANDING COMMITTEE ON EDUCATION, WOMEN, CHILDREN, YOUTH AND SPORTS

348th to 351st Reports

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): महोदया, मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 348वां प्रतिवेदन।

(ii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 349वां प्रतिवेदन।

(iii) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 350वां प्रतिवेदन।

(iv) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 351वां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

14.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs*

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Madam, with your permission, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 15th Report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs on Demands for Grants (2022-23) pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

14.04½ hrs

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 24th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2021- 2022) pertaining to the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) : महोदया, मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9350/17/23 and 9351/17/23 respectively.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 37th Report of the Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing on Demands for Grants (2022- 2023)-Demand No. 1 pertaining to the Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare*

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) : महोदया, मैं कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) - मांग संख्या 1 के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

… (व्यवधान)

*Laid on the Table and also placed in Library, See Nos. LT 9352/17/23.

14.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(i) Regarding setting up of floating solar plants in areas affected by water logging in Saran and Siwan districts of Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार राज्य के सिवान और सारण जिला में बंटा हुआ है। इन दोनों जिलों के कई प्रखंडों की हजारों एकड़ जमीन में बारहों मास जल–जमाव रहता है। जल-जमाव रहने के कारण किसान इन जमीनों में खेती नहीं कर पाते और मत्स्यपालक मत्स्यपालन भी नहीं कर पाते। इस परिस्थिति में इस जल-जमाव वाले बड़े क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर उर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन किया जा सकता है तथा इससे उत्पादित बिजली को डिस्ट्रीब्यूट कर हमारे संसदीय क्षेत्र सहित आस-पास के क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ दिलाया जा सकता है। अत: विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मेरा आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के सारण और सिवान जिलों में जल-जमाव वाली हजारों एकड़ जमीन में तैरता सौर उर्जा संयंत्र लगवाया जाये जिससे कि बिजली की कमी को दूर किया जा सके।

* Treated as laid on the Table.

(ii) Regarding implementation of MPLAD Scheme in West Bengal

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): After submission of proposals of my MPLAD schemes, on various pleas, the remains stalled for 1-3 years. I wish to cite a burning example of this in Memo No. (MP/HG/MPLADS/21-221/09 Dated: 21.12.21). This proposal is worth more than Rs. 1 crore. The state government's PWD was to install 38 solar high-mast lights. But 50% of the said work is still not complete. People of Hooghly are being deprived of the developmental works.

Memo No. LC/MPLADS/2022/080-Once again I submitted a new proposal for 57 solar high-mast lights for which approximate fund was more than Rs. 2 crores. So far no tender has been floated and DM and other officers don't receive phone calls. In addition to high-mast lights, I am not being allowed to take up the work to set up other facilities like school for students, water dispensers for local people, small by-roads for ease of communication, waiting areas for bus passengers etc. Verbal requests are not yielding any results. I have also requested in writing through my letterhead pad.

Therefore, I request the concerned Hon'ble Minister to immediately take cognizance of the matter.

(iii) Regarding establishment of stadiums in Misrikh Parliamentary Constituency under Khelo India Programme

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): यह हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माध्यम से देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने, खेलों को बढ़ावा देने एवं नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से 'खेलो इंडिया कार्यक्रम' योजना क्रियान्वित की है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत विकास, समुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास हेतु आयाम तैयार करना है।

मैं अपने मिश्रित संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों की युवा प्रतिभा को आगे लाने के लिए 'खेलों इंडिया कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत बिल्हौर, संडीला और मिश्रिख में स्टेडियम की स्थापना किए जाने हेतु पत्र के माध्यम से माननीय युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री जी से कई बार निवेदन कर चुका हूं।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के बिल्हौर, संडीला और मिश्रिख में ''खेलो इंडिया कार्यक्रम'' योजना के अंतर्गत स्टेडियम की स्थापना किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

(iv) Need to develop ESIC Hospital in Bhilwara in Rajasthan as a model hospital

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा में लगभग 1 लाख कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अंशदान जमा कराते हैं तथा 3 से 4 लाख लोग लाभार्थी हैं। यहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल है, जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित है, वर्तमान में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का इससे जुड़ा होना इसके बावजूद भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नही मिल पाना गंभीर बात है। भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी होने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर एवं उनके परिवार इलाज के लिए भटकते हैं, इस कारण यहां पर मॉडल अस्पताल की आवश्यकता है। मै श्रम एवं रोजगार मंत्री महोदय, भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि भीलवाड़ा राजस्थान के ईएसआई हॉस्पिटल को भारत सरकार अपने अधीन लेकर मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करे इसके लिए भीलवाड़ा ईएसआई हॉस्पिटल के पास वर्तमान में पर्याप्त भूमि एवं भवन उपलब्ध हैं।

(v) Regarding G-20 meeting in India

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत को विश्व के सबसे शक्तिशाली जी-20 की अध्यक्षता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत के लोकतंत्र का यह मंदिर यानि कि संसद निश्चित तौर पर जी-20 देशों की अध्यक्षता करते हुए अपनी उपलब्धियों को विश्व के साथ साझा कर सकता है। हम सब भारत की संसद के सदस्यगण भारत की विविधता और अनेकता में एकता के संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। भारत का कोविड प्रबंधन विश्व के लिए अनुकरणीय रहा है, और विश्व की सभी संस्थाओं ने भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। Covid-19 महामारी के दौरान भारत ने, न केवल अपने प्रबंधन को बेहतरीन रखा, बल्कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति भी की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाली (इंडोनेशिया) में हुए जी-20 अधिवेशन के दौरान निभाई गई भारत की भूमिका के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की है, और सभी देशों ने भारत के प्रधानमंत्री जी के इस संदेश की सराहना की है कि यह वक्त युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है।

भारत की यह महान संसद G-20 के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध, एशिया में चीन के आक्रमक तेवर, विश्व में बढ़ती हुई महंगाई, भारत का जलवायु परिवर्तन व पर्यावरण संरक्षण का अभियान, यूपीआई के माध्यम से भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति, ग्रामीण भारत में हाई स्पीड इंटरनेट, भारत में डिजिटल साक्षरता अभियान, DBT के माध्यम से लीकेज पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचार को खत्म करना, फर्जी लाभार्थियों का सफाया करना, भारत की टेक्नोलॉजी का भारत में नई शक्ति के रूप में उभरना, भारत के यूनिकॉर्न में जबरदस्त वृद्धि होना, भारत में आई व्यापार करने की सुगमता से कारोबार को पंख लगना व सुधार की दिशा में बढ़ते कदम आदि कुछ ऐसे विषय हैं, जिन पर भारत की संसद चर्चा करके वर्ष 2023 में होने वाले G-20 सम्मेलन को सार्थक बना सकते हैं। आज भारत खाद्यान्न, ईंधन व आर्थिक असमानता व एसडीजी (SDG) पर चर्चा करके सार्थक पहल कर सकता है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि भारत में G-20 की हो रही बैठक की सफलता के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अवगत करायें।

(vi) Regarding setting up of Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana region

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): The Jharkhand State is having two major regions, Santhal Pargana and Chhota Nagpur. No doubt, the spread of naxalism is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region, who have been not only systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed in their own homeland. Keeping the socio-economic problem being faced by Santhal Pargana in mind where agriculture is the main source of income, we see an urgent need of comprehensive plan of action where special emphasis on good and equal opportunity of employment friendly education is needed to be given utmost importance.

Santhal Pargana districts Deoghar, Godda, Jamtara, Pakur, Sahibganj and Dumka count amongst the socially, educationally and economically backward districts of the country. A look at the statistics of health, literacy, education, income, etc, gives an appalling picture of the poor state of the people.

Jharkhand possesses 40% of India's mineral resources, but the access to resources has made little difference to the lives of ordinary people. Poverty and ignorance are still causes for low literacy rates, poor school attendance and large-scale drop outs.

There is a need to set up three Kendriya Vidyalaya. An ideal location would be Jarmundi (Dumka), Deoghar and Mahagama (Godda) in the Santhal Pargana region.

(vii) Need to upgrade Prayagraj Airport as international airport and to complete Bhagwatpur-Begum Bazaar railway overbridge

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): प्रयागराज पर एअरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का शुभारम्भ 16 दिसम्बर, 2018 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हुआ था। वर्तमान समय में प्रयागराज एअरपोर्ट से लगभग 16 फ्लाइट आवागमन कर रही हैं, इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः सरकार से निम्नलिखित कार्य करने के लिये विनम्र निवेदन है :- प्रयागराज एअरपोर्ट उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एअरपोर्ट है एवं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। प्रयागराज एअरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाया जाये क्योकि इसका आकार बढेगा तो यहाँ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में कार्यरत हैं और अन्य पूर्वांचल के जिलों एवं मध्य प्रदेश के सटे हुए जिलों के निवासियों को भी इसका लाभ होगा। प्रयागराज में 2025 में महाकुम्भ होना है जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। इसलिए आने वाले महाकुम्भ-2025 को ध्यान में रखते हुए भी प्रयागराज को अन्तर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट बनाना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि महाकुम्भ में लोगों की विशेष आस्था है। इसमें शामिल होने के लिये लोग सम्पूर्ण भारत एवं समस्त राज्यों से आयेंगे और उन्हें यात्रा करने में किसी भी प्रकार की बाधा ना आये इसके लिये कुछ मार्ग जैसे प्रयागराज-कोलकाता-प्रयागराज, चेन्नई-प्रयागराज, प्रयागराज-नागपुर-हैदराबाद-नागपुर-प्रयागराज, प्रयागराज-आगरा-जयपुर-आगरा और प्रयागराज –पटना –प्रयागराज पर भी विमान यात्रा शुरू की जाये तो जनहित के लिहाज से अनुकूल होगा। यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि प्रयागराज एअरपोर्ट पर नाईट लैंडिंग की सुविधाएं हैं लेकिन अभी तक रात में विमानों का आवागमन शुरू नहीं किया गया है क्योंकि सेना की तरफ से अनुमति नहीं मिल रही है। एअरपोर्ट में पहुचने के लिये निर्माणाधीन भागवतपुर- बेगम बाज़ार रेलवे ओवर ब्रिज, जिसका लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है एवं वायुसेना की तरफ से एन०ओ०सी० न मिलने कीवजह से रुका पड़ा है, का कार्य भी तत्काल पूर्ण करवाने की कृपा करें।

(viii) Regarding construction of a guard wall on eastern bank of the Kansabati river in Jhargram Parliamentary Constituency

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): In my Jhargram Parliamentary Constituency, there is a river called Kansabati; which is flowing between the Bara Palashi and Chhota Rathidanga Mauza. The Bara Palashi, Chhota Palashi and Chhota Rathidanga Mouzas of Baita anchal under Jhargram Vidhan Sabha are inhabited mainly by the farmers. The river is currently flowing through the area which had villages nearby four decades ago. But the flood of 1978 later changed the scenario and presently, those villages are along the eastern side of this mouza.

Due to increase in the depth of the river during the monsoon, large scale landslides occur on the sandbanks. The people in villages are apprehensive, if the sandbank continues to break like this every year. The surrounding villages will be submerged in the river. The pitch road is situated 5-10 meters away from the river which also get lost in the river bed in a few years and all the three mouzas will merge into the river.

Therefore, I would request the concerned Minister to kindly construct a guard wall of about 2 km on the eastern bank of the Kansabati river in the above said mouzas and protect the people, their lands and villages.

(ix) Need to widen the bridge built over the railway tracks passing through the Hoollongaper Gibbon Sanctuary, Jorhat, Assam to facilitate free movement of Hoolock Gibbons in the Sanctuary area

SHRI TOPON KUMAR GOGOI (JORHAT): It is a matter of great concern that houses of the only ape Hoolock Gibbons that is found in India, the Hoollongapar Gibbons Sanctuary at Jorhat in Assam is divided in two parts by the railway track. The character of Hoolock Gibbons are that they never come down on the earth from the tree. Since Gibbons are monogamous and do not mate within family lines, the stranded families in the smaller area were struggling to breed, leading to dwindling numbers. They were also suffering due to depleting food resources in their patch of forest. A railway track bisected the forest dividing the animals into two separate areas. Three family groups of gibbons live in the smaller area roughly 150 hectares, isolated from the 23 families in the larger one of 1,950 hectares. A bridge built over the Railway tracks in 2015 does not connect to the forest canopy and Gibbons are not using it to cross. I would strongly urge the Ministry of Railways to take urgent measures so that the present narrow bridge could be widened so that the whole family of Gibbons walk together to cross from one side to other and the bridge should be connected by the tree or forest canopy on both side at the end of bridge.

(x) Regarding constriction of limited height subways at level crossings in Palamu Parliamentary Constituency

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): पलामू संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय रेलवे क्रासिंग पर L.H.S बनाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि इन स्थानों की रेलवे क्रासिंग अधिकृत नही है, अतः रेलवे मंत्रालय इन स्थानों पर L.H.S बनाने के लिए इच्छुक नहीं है और मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार चाहे तो इन स्थानों पर composite scheme के अन्तर्गत L.H.S बना सकती है।

उल्लेखनीय है कि एक L.H.S बनाने में 4 करोड़ से 5 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि लगती है। रेलवे या राज्य सरकारों के लिए यह बहुत बड़ी राशि जनता को आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए अधिक नही लगती है।

अतः माननीय रेल मंत्री जी से माँग करता हूँ कि आकांक्षी जिलों के लिए यह कार्य मंत्रालय के द्वारा कर दिया जाय। मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे L.H.S की आवश्यकता पलामू जिला अंतर्गत विश्रामपुर प्रखंड के लालगढ़, पंजरीकला, हैदरनगर प्रखंड के डाली, हुसैनाबाद प्रखंड के कजरात नावाडीह, सदर प्रखंड के बुढ़वापीपर एवं बखारी एवं गढ़वा जिला अंतर्गत गढ़वा प्रखंड के सोनपुरवा, नगर उटारी प्रखंड के अहिरपुरवा, मेराल प्रखंड के कुम्भी में है। माननीय मंत्री महोदय कृपया इस पर ध्यान देने का कष्ट करें।

(xi) Need to identify black spots on roads all over the country and take corrective measures to prevent road accidents

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): देश के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विगत तीन वर्षों में 500 मीटर दायरे में 05 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं अथवा 10 मृत्यृ घटित हुई हैं को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता है। देश में नेशनल हाइवे के लगभग 3750 स्थान हैं एवं अन्य सड़कों को मिलाकर लगभग 5803 ब्लैक स्पॉट हैं। देश में सबसे ज्यादा ब्लैक स्पॉट वाले राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैण्ड हैं। एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इन जगहों पर वर्ष 2016 से 2018 में 79 हजार दुर्घटनाए हुईं जिसमें 39 हजार से ज्यादा लोगों को जान गवानी पड़ी। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि देश के सभी सड़क मार्गों पर ब्लैक स्पॉट स्थलों को चिन्हित किया जावे एवं उन्हें प्राथामिकता के अनुसार उसमें सुधार किया जावे, जिससे देश में ब्लैक स्पॉट के स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

(xii) Regarding introduction of 'One Nation, One Voter list'

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): We should introduce 'One Nation One Voter ID' in the Country to ensure easy access to the original electoral list and to empower the forgotten migrant voter. The 'One Nation One Ration Card' was launched to enable migrant workers and their family members to get the benefits of the public distribution system from any fair price shop in the country. It has been a huge success and today any ration card holder can take his ration from any ration shop in the country.

Election process will improve with the 'One Nation, One Voter List' initiative if the Aadhaar number is linked with the voter ID card for transparency in the country's electoral system. Hon'ble Prime Minister also once said that we should keep talking about 'One Nation, One Voter List' and 'One Nation, One Election' to conduct elections in a fair transparent manner which will improve the voting process in the country.

(xiii) Regarding establishment of higher education institutions in Seemanchal

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Seemanchal has lowest literacy rate as per 2011 census. In view of the number of universities and colleges in Bihar, 25 out of 38 districts are educationally backward. The state needs additional 373 general colleges, 236 Engineering colleges, 139 medical colleges, 253 educational colleges, and 163 polytechnics to attain national level. New Education Policy (NEP), 2020 mentions that more higher education institutions (HEIs) shall be established and developed in underserved regions to ensure full access, equity, and inclusion of all. By 2030, there shall be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district. Seemanchal should be given priority to establish a Central University, Degree Colleges, Nursing and Veterinary colleges, and a Woman's College, among others.

The following are needed at utmost urgency –

1. Govt Medical College – Kishanganj
2. Dental College – Baisi
3. Nursing College in – Thakurganj, Kochadhaman, Amour

(xiv) Need to ensure release of Indian fishermen apprehended by Sri Lankan Navy

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): The brutal attacks on Indian fishermen by the Sri Lankan navy is on the rise. With a deep sense of anguish, I wish to record three separate incidents that happened within a span of one month.

The Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu has written a letter to the Prime Minister on 13 March 2023, seeking his intervention for securing the release of 16 fishermen from Nagapattinam and Pudukottai, who were arrested by the Sri Lankan Navy on March 12.

This was the third incident within a month and frequent incidents shatter the livelihood of poor fishermen and also create fear psychosis in their mind. The fishermen were arrested for allegedly crossing the IMBL.

At present, 102 fishing boats are under Lankan custody and six boats that were released by Sri Lanka are yet to be repatriated.

Earlier, 16 Indian fishermen (6 fishermen from Tamil Nadu, 7 fishermen from Kerala and 3 fishermen from West Bengal) along with their mechanised fishing boat which ventured for fishing from Thengapattinam Fishing Harbour of Tamil Nadu were apprehended by the authorities in Diego Garcia of British Indian Ocean Territory (BIOT) along with their mechanised fishing boat.

In another incident, six fishermen belonging to Tharangambadi, Mayiladuthurai District were brutally attacked with iron rope by the Sri Lankan Navy personnel.

This attack is a blatant violation of all international norms and conventions.

Therefore, I urge upon the Government to take up the matter with the concerned authorities using diplomatic channels so as to secure the release of all the Indian fishermen and their fishing vessel immediately.

(xv) Regarding erode (Ingur)- Palani new broad-gauge (BG) line

SHRI A GANESHAMURTHI (ERODE): The Reconnaissance Engineering-cum-Traffic Survey was ordered for the Erode (Ingur)-Palani new BG line via Chennimalal, Kangeyam, Dharapuram, in the Railway Budget 2005-2006. However, in the year 2007, priority was not given to this project and the whole survey was shelved in the guise of unremunerative line. Now, whether it is remunerative. Is there any survey made about it.

It is an about 100 km. new line en-route connecting famous temple town Palani. In the earlier survey line, one solar plant has come up and other infrastructure projects and plants have come up. Now, whether it is remunerative?

I am glad that in this year's budget Rs. 50 crore is allotted for the survey of this new BG line. However, the Ministry of Railways should clarify that whether there will be some change in the alignment of the proposed BG line, since lot of projects have come in the earlier survey line and it would affect the existing industrial development.

(xvi) Regarding job loss faced in the technology sector worldwide

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Around 2 lakh Indian IT employees losing jobs within just three months in a massive layoff spree by top multinational companies in the U. S. A. To remain in the country, they are now battling to find new employment. After a year that was marred with geopolitical uncertainties and related impacts like soaring inflation, tightening monetary policy and slowing economic growth, the year 2023 started with a series of layoffs at big multinational companies.

The layoffs have impacted almost all sectors, the worst of them has been the tech sector worldwide. Tech companies are facing a demand downturn after 2 years of pandemic-driven growth during which they had hired aggressively. Between 30-40% of the laid off workers are Indian IT professionals, a significant number of whom are H1B and L1 visas. It's after Impacts started in India also. I urge upon the Government to take immediate steps to resolve the issue.

(xvii) Regarding construction of a hockey stadium cum training centres at Yelamanchili in Vishakhapatnam district, Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Yelamanchili is a town in Visakhapatnam district of Andhra Pradesh. This town has produced many national and international hockey players for India and abroad. Due to lack of infrastructure of proper hockey ground, coaching centre, the players had to migrate to Hyderabad earlier for their training but after bifurcation, the players from Andhra Pradesh are facing an uphill task to get themselves prepared for national and international level.

The Hon'ble Chief Minister of Andhra Pradesh has given special focus to encourage the sports persons, but after the bifurcation, the state of Andhra Pradesh is suffering from lack of resources and funding. Being an elected representative from Anakapalle Parliamentary Constituency, it is my earnest request to you to kindly sanction from the budget of Ministry of Youth Affairs and Sports to build a hockey stadium cum training centre of international level so that Yelamanchili town can produce more talented hockey players for the country.

(xviii) Need to expedite construction of Karad – Chiplun railway line project

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में चिपलून-कराड रेलवे के ग्राउंडब्रेकिंग का काम कर परियोजना अनुबंध शापूरजी पालनजी कंपनी को दिया गया था। सरकार के इस साल के बजट में इस परियोजना को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है इस परियोजना के अंतर्गत रेलवे ने दो रूटों को मंजूरी दी थी । यह मार्ग निर्माण होने से कराड से सीधे मिराज जाना संभव होगा और अन्य विकल्पों की तुलना में सुविधाजनक और आर्थिक रूप से वहनीय होगा! पूर्व में चिपलून से कराड रेलवे मार्ग को सर्वेक्षण कार्य के साथ ही इस रूट का पूरा प्लान तैयार कर भूमि पूजन भी किया और अघाड़ी सरकार ने राज्य की ओर से बारह सौ करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान कर केंद्र सरकार से इस परियोजना को शुरू करने की पहल की थी। लेकिन वर्तमान बजट में इस प्रोजेक्ट की अनदेखी हुई है, जिसके कारण यह चिपलून-कराड रेलवे मार्ग आज भी उपेक्षित है । इस संबंध में क्षेत्रीय लोगों ने भी नाराजगी व्यक्त की है । अत: सरकार से अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाये ।

(xix) Regarding establishment of AIIMS in Saharasa, Bihar

श्री दिनेश चन्द्र यादव (मधेपुरा): बिहार राज्य के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, पूर्णियाँ, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिले अत्यंत पिछड़ें है। इन क्षेत्रों में किडनी, कैंसर, हृदय, लीवर एवं अन्य गंभीर बीमारियों के रोगी काफी बड़े पैमाने पर हैं। इन क्षेत्रों में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। गरीबी के कारण लोग बाहर जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं और तड़पतड़प कर मर जाते हैं। उत्तर बिहार का प्रमुख शहर सहरसा प्रमंडलीय मुख्यालय है। यह NH एवं बड़ी रेल लाईन से जुड़ा हुआ है। जिला पदाधिकारी, सहरसा ने सहरसा में एम्स निर्माण करने के लिए 217.74 एकड़ जमीन उपलब्ध होने की जानकारी बिहार सरकार को दी थी। लेकिन राज्य सरकार द्वारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बगल में एम्स निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई गयी थी। MCI दिल्ली ने उस जमीन को एम्स के लिए अनुपयोगी मानकर अस्वीकृत कर दिया। जानकारी मिली है कि दरभंगा एम्स के लिए पुनः जो जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। वह 15-20 फीट गड्ढे में है। दरभंगा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उक्त स्थल पर एम्स निमार्ण होने से वह सदा असुरक्षित रहेगा एवं उसकी उपयोगिता सार्थक नहीं होगी। मेरा आग्रह है कि सरकार जनहित में उत्तर बिहार के सहरसा में एम्स का निर्माण करायें।

(xx) Regarding revision of pensions and family pension for retired employees of public sector group insurance companies

SHRI P.R. NATARAJAN (COIMBATORE): Pension scheme was introduced in public sector insurance companies, both life and general during 1995 with retrospective effect from 01.01.1986 in lieu of Contributory Provident Fund (CPF) Scheme. The scheme was framed on the basis of Central Civil Pension Rules, 1972 of Central Civil Service servants. But, periodical revision / updation of pension consequent on pay revision as was given to central government employees from 1st January 1996, on the basis recommendations of successive central pay commissions was not extended to Insurance pensioners. Hence, the insurance pensioners, particularly those retired in earlier years are paid pension, fixed on the date of retirement, as pension.

The family pension was fixed at the rate of 15% of last drawn salary of the deceased employee / pensioner. The paltry sum being paid as family pension now, is not sufficient for survival of family pensioners. Most of them are in penury. After much persuasion and organisational actions, the management of LIC agreed to enhance family pension to a uniform rate of 30% of last pay drawn without any ceiling. LIC Board's recommendation in this regard was sent to Government of India In September, 2019. PSGI companies also agreed to this demand and recommendation of General Insurers Public Sector Association (GIPSA), the umbrella organisation for public sector Insurance companies, was also sent to the Government in December, 2021. But the matter is still pending with Government for approval and notification. As the same has already been implemented in Reserve

Bank of India and Public Sector Banks, was discussed in the Conference, the resolution adopted was forwarded to Hon'ble Minister of Finance but was not fruitful. We addressed letters to Chairpersons of LIC and GIPSA on 22.06.2022 seeking their effective intervention for early resolution of the issue. As no positive result was forthcoming, we went ahead with organisational action involving all pensioners and family pensioners by holding demonstration before all Offices of LIC / PSGI Companies on 4th August, 2022, throughout the country. It was followed up by submitting representations to Hon'ble Minister of Finance several times but to no avail.

I urge upon the Union Government to bestow attention in the matter and render them all possible assistance and help for getting the aforementioned genuine and fully justified demand of Insurance pensioners realised.

(xxi) Regarding audit of the utilization of SC/ST sub plan funds in Andhra Pradesh since 2020-21

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): More than Rs 10,300 crore of SC sub plan and sub plan funds in 2022-23 have been reportedly diverted by the Government of Andhra Pradesh. Even the funds meant for SC, ST are being underutilized. In 2021-22, only 76% of SC sub- plan funds meant for SC/ST communities were utilized. Out of the Rs.4693 crore released from the Centre to Andhra Pradesh as 'Grants-in-aid under Article 275(1)' between 2020 and 2022. The state government reported that utilization is ZERO for both the years, which may show the negligence of the Government towards tribals.

The extension of the SC ST sub-plans was not done under the scrutiny of the elected state assembly, rather it was carried out by an executive ordinance.

By diverting funds earmarked for SC & ST development, the (YCP ruled) Andhra Pradesh Government is adversely impacting the socio-economic progress of the SC/ST population. This is not only a legal violation but also a breach of trust of the people of Andhra Pradesh. Hence, I urge upon the Union Government to take cognisance of this matter and undertake an audit of the utilization of the SC/ST sub-plan funds in Andhra Pradesh.

(xxii) Regarding establishment of new Kendriya Vidyalays in Nagaur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर के क्रमश: खींवसर, परबतसर, डीडवाना तथा मेड़ता में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें यह अवगत करवाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा लंबे समय से यह मांग की जा रही है जिसके क्रम में जिला कलेक्टर नागौर ने शासन-उप सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों में उपायुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित किए थे, चूंकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भौतिक निरीक्षण में कुछ कमियां पाई गई जिसके क्रम में जिला कलेक्टर द्वारा 3 नवंबर 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को पाई गई कमियों को दुरुस्त करवाने की बात कही थी। चूंकि 25 मार्च, 2022 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था और उक्त समिति ने जो कमियां पाई उनके समाधान हेतु आप पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर को निर्देशित करें कि कमियों का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। उस हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर जिला प्रशासन नागौर से समन्वय स्थापित करें तथा लगातार व जल्द से जल्द उन कमियों में सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी मदद भी जिला प्रशासन नागौर की करें। मेरा संसदीय क्षेत्र व जिला नागौर भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा विस्तारित है और दशको से यहां के लोग अच्छे शैक्षणिक संस्थान की राह देख रहे हैं और नागौर संसदीय क्षेत्र के खींवसर, डीडवाना, परबतसर तथा मेड़ता में नवीन केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास लंबे समय से विचाराधीन भी हैं और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन, नागौर नए के. वी. हेतु आवश्यक जमीन व वांछित संसाधनों की उपलब्धता करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। ऐसे में सरकार , मेरे संसदीय क्षेत्र की विस्तृत भौगोलिक स्थिति, आर्थिक रुप से पिछड़े तथा मरुस्थलीय क्षेत्र को देखते हुए नियमों में शिथिलता देते हुए उक्त स्थानों पर जल्द से जल्द नवीन केंद्रीय विघालय स्वीकृत करने के आदेश कराये।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 29, 2023/Chaitra 08, 1945 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)